||कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात, जोधपुर||

प्रेस नोट

दिनांकः-03.07.2024

श्रीमान पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार शहर में संचालित होने वाली बालवाहिनियां, जो बालवाहिनी/यातायात नियमों की पालना नहीं करते हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विशेष अभियान दिनांक 03.07.2024 से 06.07.2024 तक चलाया जा रहा हैं। इस हेतु पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के जिला पूर्व व पश्चिम में एक-एक टीम का गठन किया गया तथा समस्त यातायात अनुसंधान अधिकारियों को भी अधिकाधिक चालान कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त अभियान के प्रथम दिवस दिनांक 03.07.2024 को यातायात पुलिस आयुक्तालय जोधपुर द्वारा स्कूलों में संचालित होने वाली बालवाहिनियां जो बालवाहिनी नियमों का तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई गई उनके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल **171 बालवाहिनियों** के चालान किये गये। उक्त कार्यवाही आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। समस्त स्कूल संचालकों व बालवाहिनी चालकों से अनुरोध हैं कि बालवाहिनी/यातायात नियमों की पालना करते हुए बालवाहिनियों का संचालन करें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

यातायात पुलिस सदैव आपकी सेवा में ।

ओर से
(शरद चौधरी)
पुलिस उपायुक्त,
यातायात, जोधपुर